"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 555] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 27, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2013/1/एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. शीर्षक "एक-सामान्य प्रशासन विभाग" के अन्तर्गत भाग (अ) "विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय" के सरल क्रमांक 54 में शब्द एवं चिन्ह "भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. शीर्षक "एक-सामान्य प्रशासन विभाग" के अन्तर्गत भाग (ऊ) "विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो" के सरल क्रमांक 1 में शब्द एवं चिन्ह "भारतीय प्रशासनिक सेवा (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस)" के स्थान पर शब्द एवं विराम चिन्ह "भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. शीर्षक "दो-गृह विभाग" के अन्तर्गत भाग (ऊ) "विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो" के सरल क्रमांक 1 में शब्द एवं हाइफन " अखिल भारतीय सेवाएं-भारतीय पुलिस सेवा " को विलोपित किया जाये.

4. शीर्षक "दस-वन विभाग" के अन्तर्गत भाग (ऊ) "विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं, यदि कोई हो, का नाम तथा विशेष सेवा संबंधी विषय, यदि कोई हो" के सरल क्रमांक 1 में शब्द " भारतीय वन सेवा " को विलोपित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-3/2013/1/एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2013/1/एक, दिनांक 18-12-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 18th December 2013

NOTIFICATION

No. F 1-3/2013/1/One. — In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. Under the heading "I-GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT", in serial number 54 of Part (A) "Matters of policy dealt within the Department", for the words and symbol "Indian Civil Services/Indian Administrative Service", the words and punctuation "Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Forest Service" shall be substituted.

2. Under the heading "I-GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT", in serial number 1 of Part (F) "Name of the Service, if any, coming under the Department and special service matters, if any", for the words "Indian Administrative Service", the words and punctuation "Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service" shall be substituted.

3. Under the heading "II-HOME DEPARTMENT", in serial number 1 of Part (F) "Name of Service coming under the Department and special service matters; if any", the words " All India Services IPS", shall be omitted.

4. Under the heading "X-FOREST DEPARTMENT", in serial number 1 of Part (F) "Name of Service if any; coming under the Department and special service matters, if any", the words "Indian Forest Service"; shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.